न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 17 / 2025(GCMS 2025/105)
(GCMS No. 212580442057099)

श्री खेमचन्द पुत्र ताराचन्द निवासी 6एन–55, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर–335001 (राज.)

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

23.04.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमचन्द स्वयं उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उसने तहसीलदार, सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 26.12.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जो उन्हें दिनांक 30.12.2024 को प्राप्त हो गया था। उनके उक्त आवेदन के पश्चात समय समय पर लोक सूचना अधिकारी–तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ से सम्पर्क किया गया किन्तु उन्होनें न तो रिकार्ड/पत्रावलियों का निरीक्षण करवाया गया और न ही सूचना उपलब्ध करवाई गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 24.02.2025 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी को एवं दिनांक 27.02.2025 को श्रीमानजी के समक्ष उनके द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने के बाद श्रीमान तहसीलदार, सूरतगढ ने उन्हें पत्र क्रमांक 726 दिनांक 05.03.2025 (प्राप्ति दिनांक 07.03.2025) प्राप्त हुआ जिसमें उनके आवेदन पत्र के साथ रसीद संख्या 0024 दिनांक 18.01.2005 की प्रति, अप्राप्ति की सूचना अंकित करते हुए आवंटित रकबा का विवरण यथा खसरा नम्बर/मुरब्बा नम्बर/ खतौनी नम्बर/ आवंटन दिनांक, न्यायालय का नाम, निर्णय दिनांक, अनवान आदि अपेक्षित जानकारी /विशिष्टियां उनके आवेदन में अंकित नहीं होना मानकर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया और दिनांक 07.03.2025 को उनके द्वारा रसीद संख्या 0024 दिनांक 18.01.2005 की प्रति तहसीलदार, सूरतगढ़ को पुनः भिजवा दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:21 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, सूरतगढ़ के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/726 दिनांक 05.03.2025 में मेरे आवेदन पत्र की दिनांक 26.12.2024 के स्थान पर दिनांक 08.01.2025 अंकित किया गया है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कड़ी मे आने वाले प्राधिकारीगणों को दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास मात्र प्रतीत होता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके द्वारा तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ के समक्ष रसीद प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा वांछित सूचना की समस्त जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई हैं। इसलिए उसे वांछित सूचनायें व दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने तथा संबंधित रिकॉर्ड का अपीलार्थी से निरीक्षण करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री खेमचन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. कार्यालय तहसीलदार, सूरतगढ़ की रसीद संख्या 0024 पुस्तक संख्या 55998 दिनांक 18.01.2005 के द्वारा मेरे पिताजी श्री ताराचन्द नें उन्हें सन 1971 में सूरतगढ़ रोही में आवंटित 35 बीघा टी.सी. कृषि भूमि का सम्वत् 2061 के लिए मालकाना जमा कराया गया था। कृपया मेरे पिताजी को आवंटित कुल 35 बीघा टी.सी. कृषि भूमि जिसमे जिसके लिये उन्होनें उक्त रसीद संख्या 0024 दिनांक 18.01.2005 के माध्यम से मालकाना जमा कराया था। उस भूमि के खसरों नम्बरों व प्रत्येक खसरे में मेरे पिताजी श्री ताराचन्द को आवंटित बारानी कृषि भूमि के क्षेत्रफल की सूचना उपलब्ध करावें। उक्त रसीद क चित्र छाया प्रति त[illegible] सन्दर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है।
2. उक्त रसीद संख्या 0024 के कॉलम संख्या 2 में ढाल बास की क्रम संख्या 71 अंकित है, जिसके सम्बन्ध में रकम जमा कराई गई है जो संवत 2061 के लिए है। कृपया मेरे पिताजी श्री ताराचन्द को आवंटित टी.सी. कृषि भूमि से सम्बन्धित ढाल बास जिसका उल्लेख उक्त रसीद में किया गया है, की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3. उक्त बिन्दु संख्या 2 में सम्वत् 2061 के लिए उल्लेखित ढाल बास के बाद के पांच वर्षों की श्री ताराचन्द को आवंटित उक्त बारानी भूमि से सम्बन्धित ढाल बासों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध करावें।
4. उक्त कृषि भूमि, मेरे पिताजी श्री ताराचन्द को वर्ष 1971 में दिनांक 28.08.1971 में आवंटित की गई थी। अतः सन् 1971 से आज दिनांक तक उक्त कृषि भूमि की गिरदावरी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
5. सन् 2004 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा कृषकों को आवंटित बारानी कृषि भूमियों पर मालकाना नहीं लेने/माफ कर देने का निर्णय लिया गया था तथा यह भी आदेश दिये गये थे कि टी.सी. बारानी भूमि आवंटियों की भूमि को आगामी आदेशों तक स्वतः ही नवीनीकरण हो जाना मान लिया जावेगा। इसकी पालना हेतु राज्य सरकार से तहसील सूरतगढ़ के कार्यालय में भी आदेश प्राप्त हुए थे। कृपया ऐसे आदेशों/अधिसूचनाओं/परिपत्रों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।
6. मेरे पिताजी श्री ताराचनद को सूरतगढ़ रोही में सन् 1971 में आवंटित 35 बीघा बारानी टी.सी. कृषि भूमि की धारा 121 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सन् 1986 सये 2006 तक एवं सन् 2007 से आज दिनांक तक की गई खतौनी, जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध करावें।

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/726 दिनांक 05.03.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

1. **उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि** आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2025 में आप द्वारा अंकित रसीद संख्या 0024 दिनांक 18.01.2025 की प्रति अप्राप्त है।
2. **आवंटित रकबा का विवरण** यथा खसरा नम्बर/मुरब्बा नम्बर, खतौनी नम्बर, आवंटन दिनांक, आवंटन न्यायालय का नाम, निर्णय दिनांक, अनवान् आदि अपेक्षित जानकारी/विशिष्टयाँ अंकित नहीं होने से आपका प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च)** के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और <u>प्रश्नात्मक रूप में नही होनी</u>**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:21 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है किन्तु अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा रसीद संख्या 0024, पुस्तक संख्या 55998 दिनांक 18.01.2005 प्रस्तुत की थी, जिसमें समस्त जानकारी उपलब्ध है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रसीद संख्या 0024 दिनांक 18.01.2005 में अंकित सूचनाओं के आधार पर, उपलब्ध सूचना का अपीलार्थी को अवलोकन करवा देवें और उनके द्वारा चाही सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार देय सूचना, उन्हें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.), [illegible] को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:21 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर